भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2745
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन

2745. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में सतत कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) किसानों में जलवायु-अनुकूल और कम जल आवश्यकता वाली फसल पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए प्रदान की गई सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(घ) सिंचाई के लिए जल उपयोग में कमी पर इन उपायों का क्या प्रभाव है; और

(ङ) मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैव उर्वरकों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार जलवायु अनुकूलता और जल कुशल फसल पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) का कार्यान्वयन कर रही है। एनएमएसए के तहत, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने हेतु है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। सॉइल हेल्थ एंड फर्टीलिटी स्कीम जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के संयोजन के साथ रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषिवानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं। मौसम सूचकांक आधारित पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल की विफलता की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) वर्ष 2011 से जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है। यह परियोजना अनियमित मानसून, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है। भावी जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि का जिला स्तरीय जोखिम और संवेदनशीलता मूल्यांकन और जलवायु परिवर्तन के भावी अनुमानों का पता लगाने के लिए एकीकृत सिमुलेशन मॉडलिंग अध्ययन किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार 651 कृषि प्रधान जिलों के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का मूल्यांकन किया गया है। 310 जिलों को संवेदनशील जिलों के रूप में चिह्नित किया गया था, जिनमें से 109 जिलों को 'बहुत अधिक' और 201 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए, आईसीएआर ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं। इनमें से 2661 किस्में एक या एक से अधिक जैविक और/या अजैविक दबावों के प्रति प्रतिरोधी हैं।

(ग) पीडीएमसी के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों हेतु 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीडीएमसी योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सब्सिडी के लिए केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)**
2021-22	1796.12
2022-23	1901.37
2023-24	2103.50
2024-25	2793.37
2025-26 (अब तक)	1974.34
कुल	10568.7

(घ) पीडीएमसी पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि यह स्कीम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर सृजित करना और किसानों की समग्र आय में वृद्धि हासिल करने के लिए प्रासंगिक है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से 30% - 70% की रेंज में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने और 30% -50% की सीमा में पानी की बचत करने में मदद मिली।

(ङ) सरकार सॉइल हेल्थ एंड फर्टीलिटी स्कीम के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देती है, जिसके अंतर्गत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी खेत जोतों को सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) जारी किए जाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड संबंधी सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में सिफारिशों को अपनाने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अभियान आयोजित किए जाते हैं। अब तक, एसएचसी सिफारिशों पर 93,781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन और 7,425 मेले/अभियान आयोजित किए जा चुके हैं।

****